बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संचिका सं० – मं०मं०–01/आर–14/2008..1769.... पटना–15, दिनांक...2.12..2010

प्रेषक,

अफ़ज़ल अमानुल्लाह,
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष

विषय – मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ संलेख भेजे जाने के संबंध में।

प्रसंग – मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का पत्रांक–422, दिनांक–04.03.2006 एवं पत्रांक–733 दिनांक–20.05.2010

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृपया निदेश किया जाय। प्रासंगिक पत्रों द्वारा मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ संलेख भेजे जाने के मामले में विस्तृत मार्गदर्शन संसूचित किये गये थे एवं तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निदेश दिया गया था (प्रतिलिपि संलग्न)।

उक्त मार्गदर्शन में यह स्पष्ट निदेश दिया गया था कि मंत्रिपरिषद के स्वीकृत्यार्थ संलेख प्रस्ताव निर्धारित बैठक की तिथि के तीन दिन पूर्व मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को भेजे जायँ, परन्तु ऐसा देखा जा रहा है कि संलेख प्रस्ताव निर्धारित मंत्रिपरिषद की बैठक की तिथि तक प्राप्त होते रहते हैं।

अतः निदेशानुसार पुनः अनुरोध है कि संलेख प्रस्ताव निर्धारित मंत्रिपरिषद की बैठक की तिथि के तीन दिन पूर्व निश्चित रूप से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को प्राप्त करा दिया जाय अन्यथा तुरत उन पर कार्रवाई करना संभव नहीं हो सकेगा। सामान्यतः मंत्रिमंडल की बैठकें मंगलवार को होती हैं। अतः मंगलवार मंत्रिमंडल के लिये संलेख प्रस्ताव पूर्व शुक्रवार 12 बजे दिन तक कृपया प्राप्त करा दिये जाएँ।

विश्वासभाजन

(अफ़ज़ल अमानुल्लाह)
सरकार के प्रधान सचिव

D:\Little\pandey ji.doc